न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस

अपील संख्याः 12/16 निर्णय दिनांकः—10-2-20
(आरसीएमएस संख्या 2016/00309)

1. पाबूराम पुत्र रामकरण जाति बिश्नोई निवासी माणकसर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. मांगीलाल पुत्र लिच्छुराम जाति आचार्य निवासी रोड़ा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. रामरख
3. गोविन्दराम — पिसरान भींयाराम जाति बिश्नोई निवासी माणकसर
4. बगडूराम — तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, कोलायत।
6. जेठी बाई पत्नी गोपीराम
7. हनुमानराम पुत्र गोपीराम (मृतक)

7/1. मन्जूदेवी पत्नी स्व.हनुमानराम
7/2. हेमन्त कुमार पुत्र स्व. हनुमानराम — जरिये कुदरती माता मन्जूदेवी
7/3. विश्वजीत पुत्र स्व. हनुमानराम

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 27—06—2012
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, प्रथम बीकानेर

उपस्थितः—

1. श्री हरिराम बिश्नोई, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम बीकानेर के आदेश दिनांक 27—06—2012 जिसके द्वारा अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि वाके रोही मौजा माणकासर तहसील कोलायत के खेत खसरा नम्बर 141 तादादी 340 बीघा 17 बिस्वा में से 33 बीघा 05 बिस्वा भूमि अपीलांट के दादा व उसके बाद अपीलांट के कब्जे काश्त में चली आ रही है। उक्त भूमि चकबन्दी होने पर चक 1 एमकेडी के मुरब्बा नम्बर 238/41 के किला नम्बर 5 ता 7, 13 ता 19, 21 ता 25 में 14 बीघा 05 बिस्वा अनकमाण्ड व मुरब्बा नम्बर 238/49 के किला नम्बर 2, 3, 8, 13 ता 18 में 9 बीघा, किला नम्बर 23 में 17 बिस्वा, 24 में 17 बिस्वा, 25 में 17 बिस्वा कमाण्ड व किला नम्बर 1, 9 ता 12, 19, 20, 21 की 17 बिस्वा, किला नम्बर 22 की 17 बिस्वा इस प्रकार 8 बीघा 14 बिस्वा अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 34 बीघा 10 बिस्वा पैमूद हुई। उक्त वादगत् भूमि पर भौतिक रूप से अपीलांट का कब्जा काश्त व वादगत् भूमि अपीलांट के उपयोग व उपभोग में चली आ रही है। वादगत् भूमि पर अपीलांट्स खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करता आ रहा है। जिस पर अन्य किसी का कोई हक व हिस्सा नहीं है। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष उक्त तमाम तथ्य प्रस्तुत करने पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 23–10–2008 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। दौराने प्रार्थना पत्र उक्त भूमि का विकय रेस्पोडेन्ट संख्या 7 को किये जाने पर उनके द्वारा अदालत मातहत के समक्ष जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अदालत मातहत द्वारा उसी दिनांक को ही अपीलांट की अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त कर दिया गया।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलाधीन आदेश की आड़ में यदि अपीलांट्स को वादगत् भूमि से बेदखल किया गया तो अपीलांट को अपूरणीय कारित होगी। अपीलांट वादगत् भूमि का काबिज काश्तकार है ऐसी स्थिति में बिना कब्जे काश्त की रिपोर्ट प्राप्त किये पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज नहीं किया जा सकता। अदालत मातहत द्वारा कानून के इस महत्वपूर्ण बिन्दु को दरकिनार करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया है जो कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य आदेश है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि उनके द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया था कि रेस्पोडेन्ट का वादगत् भूमि पर कोई हक व हिस्सा निहित नहीं है वादगत् भूमि पर अपीलांट् का कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस संबंध में अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व ना तो कोई जॉच की गई व ना ही वादगत् भूमि के मौके की कोई रिपोर्ट प्राप्त की

गई। केवल मात्र रेस्पोडेन्ट के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण इनग्रिडियेन्टस प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति आदि की कोई विवेचना अपने आदेश में नहीं की गई है। वादगत् भूमि अपीलांट की पुश्तैनी कब्जे काश्त की भूमि रही है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट्स का वादगत् भूमि से कोई लेना–देना नहीं है ना ही कोई हक व हिस्सा है। अपीलांट द्वारा लाखों रूपया खर्च कर वादगत् भूमि को काबिल काश्त बनाया गया है। ऐसी स्थिति में बिना सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज नहीं किया जा सकता। लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि चक 1 एमकेडी के मुरब्बा नम्बर 238/41 की 15 बीघा भूमि व मुरब्बा नम्बर 238/49 की 21 बीघा भूमि इस प्रकार कुल 36 बीघा मांगीलाल पुत्र लिच्छुराम के नाम से आवंटन है। उक्त भूमि आवंटन पश्चात् जरिये नामान्तरणकरण संख्या 50 दिनांक 02–05–2008 के माध्यम से राजस्व रिकार्ड में अंकित की गई तथा खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के उपरान्त उक्त भूमि जेठी, हनुमान व मन्जू को विक्रय कर दी गई तथा रिकार्ड में जरिये नामान्तरणकरण संख्या 105 दिनांक 09–08–2012 दर्ज किया गया। ऐसी स्थिति में अपीलांट् का वादगत् भूमि पर किसी प्रकार का कोई अधिकार नही है। वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट्स के कब्जे काश्त में चली आ रही है।

उन्होनें आगे बताया कि अपीलांट् द्वारा वादगत् भूमि के संबंध में अपने हक व हकूकों के संबंध में अपने अधिकार के स्वरूप किसी प्रकार का कोई रिकार्ड अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये है। जिससे वादगत् भूमि पर उनके हक व हकूक साबित होते हो। अदालत मातहत द्वारा इसी आधार पर अपीलांट् का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति अपीलांट/प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनती है। इसी कम में अदालत मातहत द्वारा अपने निर्णय में यह भी अभिलिखित किया गया है कि सबूतो के आधार पर अप्रार्थी संख्या 5 का ही कब्जा काश्त है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2010 पार्ट II पेज 1316 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि वाके रोही मौजा माणकासर तहसील कोलायत के खेत खसरा नम्बर 141 तादादी 340 बीघा 17 बिस्वा में से 33 बीघा 05 बिस्वा भूमि जिसके चकबन्दी होने पर चक 1 एमकेडी के मुरब्बा नम्बर 238/41 के किला नम्बर 5 ता 7, 13 ता 19, 21 ता 25 में 14 बीघा 05 बिस्वा अनकमाण्ड व मुरब्बा नम्बर 238/49 के किला नम्बर 2, 3, 8, 13 ता 18 में 9 बीघा, किला नम्बर 23 में 17 बिस्वा, 24 में 17 बिस्वा, 25 में 17 बिस्वा कमाण्ड व किला नम्बर 1, 9 ता 12, 19, 20, 21 की 17 बिस्वा, किला नम्बर 22 की 17 बिस्वा इस प्रकार 8 बीघा 14 बिस्वा अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 34 बीघा 10 बिस्वा पैमूद हुई, के बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए के तहत प्रस्तुत करने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, जिसके विरूद्व अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई है।

इस संबंध में हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली, निर्णय व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा दिनांक 23—10—2008 को वादग्रस्त भूमि के बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जैर अपील दिनांक 27—06—2012 तक यथावत रही। उक्त दिनांक को अप्रार्थी संख्या 5 जोकि वादग्रस्त भूमि का खरीददार है, के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना उसके पक्ष में विगत् चार वर्षो से वादग्रस्त भूमि को लेकर चल रही अस्थाई निषेधाज्ञा को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अदालत मातहत द्वारा न तो मौके की रिपोर्ट प्राप्त की गई ना ही अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों इन्ग्रिडेन्ट्स प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति पर अपना कोई विवेचन अंकित किया गया। प्रकरण में अपीलांट ने वादग्रस्त भूमि पर अपना कब्जा काश्त बताते हुए अदालत मातहत के समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की गई थी। उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा अदालत मातहत द्वारा दिनांक 23—10—2008 को जारी की गई थी। उसके उपरान्त उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जैर अपील अर्थात दिनांक 27—06—2012 तक यथावत चली आ रही थी। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त भूमि के खरीददार होने व कालान्तर में रिकार्डेड खातेदार होने का कथन करते हुए उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा को एकतरफा तौर पर निरस्त करवाया जाना किसी भी स्थिति में युक्तियुक्त नहीं माना जा सकता। आदेश जैर अपील से अपीलांट के विधिक अधिकारों का हनन होना साबित है। दौराने

वाद यदि वादग्रस्त भूमि को अन्य किसी को बेचान किया गया या मौके की स्थिति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है तो प्रकरण में अनावश्यक पेचिदगयॉ उत्पन्न होंगी।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील स्वीकार की जाकर सहायक आयुक्त उपनिवेशन, प्रथम बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27–06–2012 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। तब तक वादग्रस्त भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखी जावे।

निर्णय आज दिनांक 10/2/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सोंकरिया)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.02.24 17:49:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: